बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के सभी प्रखण्डों में एक-एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया । इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन हेतु विभिन्न चरणों में RFP No. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016, RFP No. BSDM/ RFP/ 08/ 2016-17 दिनांक-09.09.2016 तथा RFP No. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया तथा इसे बिहार कौशल विकास मिशन के Website-www.skillmissionbihar.org पर भी अपलोड किया गया ।

RFP संख्या- BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016 के आधार पर M/s Zephyr Ltd. को सासाराम सदर, डेहरी-ऑन-सोन, अकोढ़ी गोला(सभी जिला रोहतास), ठाकुरगंज, बहादुरगंज(किशनगंज), सोनपुर(सारण),डुमरा,पुपरी तथा चोरौत(सभी जिला सीतामढ़ी) प्रखण्ड में निर्मित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA निर्गत किया गया । इसी प्रकार RFP No. BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक-09.09.2016 के आधार पर एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को टेढ़ागाछ(किशनगंज) तथा पानापुर(सारण) के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को संचालन हेतु आवंटित किया गया तथा RFP संख्या- BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 के आधार पर M/s Zephyr Ltd. को रफीगंज(औरंगाबाद), परसा(सारण), सुगौली, मेहषी, तुरकौलिया, तेतरिया, पताही(सभी जिला पूर्वी चम्पारण) तथा बाजपट्टी के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA निर्गत किया गया । इस प्रकार एजेंसी को तीनों चरणों के RFP के आधार पर कुल 19 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व दिया गया ।

BSDC के संचालन के लिए एजेंसी के चयन हेतु प्रकाशित RFP में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि "The successful applicant organization(AO) has to run the allotted BSDC by themselves only and the sub-letting of BSDC is strictly prohibited and will not be allowed under any circumstances. No joint venture or consortium will be permissible " आवंटन के पश्चात M/s Zephyr Ltd. के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का सेक्शन-III निम्न रूप से उद्धृत है- "The organization has to run the allotted BSDC by itself and any kind of sub-letting or sub- contracting or franchisee arrangement of the BSDC/s or conduct of training is strictly prohibited and impermissible under any circumstances. No joint venture or consortium or association is permissible."

दिनांक-19 जुलाई, 2017 को email के माध्यम से BSDC, डेहरी-ऑन-सोन(रोहतास), परसा(सारण), डुमरा (सीतामढ़ी), पुपरी(सीतामढ़ी), चोरौत(सीतामढ़ी) तथा सोनपुर(सारण) के Center Co-ordinator तथा Learning facilitator से यह सूचना प्राप्त हुयी कि इन केन्द्रों पर कार्यरत Center Co-ordinator तथा Learning facilitator का पारिश्रमिक भुगतान नहीं होने के कारण इन सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य बाधित है तथा ये सभी केन्द्र बंद है । इस email की प्रति एक अन्य संगठन Youth Arena को भी दी गयी थी । पुनः दिनांक-20 जुलाई, 2017 को BSDC, अकोढ़ीगोला(रोहतास) से भी इसी प्रकार का एक email प्राप्त हुआ, जिसमें केन्द्र पर प्रशिक्षण रोक देने की बातें उल्लेखित थीं तथा इन सभी email की प्रति को एक अन्य संगठन Youth Arena को भी दिया गया था ।

M/s Zephyr Ltd. को आवंटित केन्द्रों पर प्रशिक्षण बाधित होना एक गंभीर मामला होने के कारण वस्तुस्थिति की छानबीन प्रारंभ की गयी । छानबीन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुयी कि Zeyphr Ltd. के द्वारा अपने सभी केन्द्रों को एक स्वतंत्र एजेंसी M/s Youth Arena Pvt.Ltd. को Sub-let कर दिया गया है । छानबीन के क्रम में M/s Zephyr Ltd. तथा M/s Youth Arena Pvt. Ltd. के बीच हस्ताक्षरित एक Agreement की प्रति भी प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि Zephyr Ltd. के द्वारा अपने कतिपय आवंटित केन्द्रों को संचालन हेतु M/s Youth Arena Pvt.Ltd. नामक एक अन्य संस्था को सौंप दिया गया है तथा उनके साथ एक अलग Agreement हस्ताक्षरित कर लिया गया है ।

बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध तथा केन्द्रों के आवंटन के लिए प्रकाशित RFP के शर्तो का उल्लंघन किये जाने हेतु M/s Zephyr Ltd. से बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-BSDM/RFP-04/2016-544 दिनांक-24.07.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया तथा इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाये जाने के कारण बिहार कौशल विकास मिशन के ज्ञापांक-BSDM/RFP-40/2016-735 दिनांक-18.09.2017 के द्वारा M/s Zephyr Ltd. को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा भविष्य में प्रकाशित किये जाने वाले RFP में अगले 5 वर्षो तक भाग लेने से प्रतिबंधित करते हुए उनके आवंटन को भिन्न-भिन्न तिथियों से रद्द किया गया तथा M/s Zephyr Ltd. के द्वारा जमा की गयी Performance guarantee की राशि को जब्त कर लिया गया ।

BSDC के संचालन हेतु एजेंसी के चयन के लिए प्रकाशित RFP की शर्तो का उल्लंघन करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-BSDM/RFP-40/2016-527 दिनांक-28.07.2017 के द्वारा M/s Youth Arena Pvt.Ltd. चन्द्रिका राय मार्केट,1st Floor, न्यू बिग्रहपुर,मीठापुर, पटना से भी स्पष्टीकरण की माँग की गयी । पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेन्सी M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा स्वीकार किया गया कि M/s Zephyr Ltd. के द्वारा उनके संगठन से संपर्क स्थापित किया गया तथा 16 केन्द्रों के संचालन के लिए एक Infrastructure Service Lease Agreeement किया गया । स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि चूंकि Youth Arena Pvt.Ltd. एक नये संगठन के रूप में 15 जून, 2016 को हीं स्थापित हुआ था तथा 3 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण उनके द्वारा सीधे-सीधे किसी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की परियोजना में स्वयं भागीदार नहीं बना जा सकता था, अतः एक नये Start-up के रूप में जब उन्हें M/s Zephyr Ltd. से इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो वे इसे अस्वीकार नहीं कर सके तथा उनके संगठन के द्वारा M/s Zephyr Ltd. के साथ 16 केन्द्रों के संचालन के लिए Infrastructure Service Lease Agreeement कर लिया गया । अपने स्पष्टीकरण में M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा जानबूझ कर RFP के शर्तो का उल्लंघन किये जाने से इनकार किया गया ।

अपने स्पष्टीकरण में M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि Zephyr Ltd. के द्वारा आवंटित केन्द्रों पर इनके द्वारा लगातार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था तथा जब उन केन्द्रों पर कार्यरत उनके कर्मियों का पारिश्रमिक का भुगतान Zephyr Ltd. के द्वारा बंद कर दिया गया तब हीं उनके कर्मियों के द्वारा भी इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक दिया गया । अपने स्पष्टीकरण में M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा अपने संगठन के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने तथा उनके संगठन को काली सूची में नहीं दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है तथा यह किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार करने योग्य नहीं है । BSDC के संचालन के लिए एजेंसी के चयन के लिए प्रकाशित RFP का Eligiblity criteria निम्न रूप से उद्धृत हैः-

1. The AO/s must be registered on or before 31-03-2013. Consortiums/ Joint ventures are not allowed.

2. The AO/s must have a minimum Annual turn over of atleast INR 100.00 lakh in each of the last two financial years (FY.2013-14 & FY.2014-15) out of which atleast INR 10.00 lakh in each of the last two financial years(FY 2013-14 & FY.2014-15)should be from conducting training programmes.

3. The AO/s must have a positive net worth as on 31-03-2015.

4. The AO/s must have trained atleast 600 candidates on a consolidated basis during the last 3 financial years(FY.2013-14,2014-15&2015-16).

5. The AO/s must have a track record of operating/running a minimum of 2 Centers in the last 3 financial years(FY.2013-14,2014-15 & 2015-16).

M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि इनकी एजेंसी दिनांक–15 जून, 2016 को स्थापित हुई थी, अतः उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वे किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के परियोजना में सीधे भागीदार नहीं हो सकते थे । समर्पित स्पष्टीकरण यह प्रमाणित करता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वे प्रकाशित RFP के Eligibility criteria के आधार पर इस RFP में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि वे जानबूझ कर अन्यथा तरीका अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्मित तथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व Franchisee mode में प्राप्त कर लिये । इस प्रकार M/s Youth Arena Pvt.Ltd. स्पष्ट रूप से BSDC के आवंटन हेतु प्रकाशित RFP के उल्लंघन का दोषी पाये जाते हैं ।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा Ref.no. PAT/YAPL/113 दिनांक–31.07.2017 से समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है । M/s Youth Arena Pvt.Ltd. चन्द्रिका राय मार्केट, 1st Floor, न्यू बिग्रहपुर, मीठापुर, पटना–800001 को अगले 5 वर्षो तक राज्य में संचालित किसी भी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिबंधित किया जाता है साथ हीं इन्हें अगले 5 वर्षो तक बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी प्रकार के RFP/निविदा में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जाता है ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/RFP–40/2014– 764 पटना,दिनांक– 25/9/2017

प्रतिलिपि– (1) श्री संजीव कुमार पाठक, प्रबंध निदेशक, M/s Youth Arena Pvt.Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ Manager, Finance & Accounts,BSDM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।